

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06072022-237112 CG-DL-E-06072022-237112

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 477] No. 477] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 5, 2022/आषाढ़ 14, 1944 NEW DELHI, TUESDAY, JULY 5, 2022/ASHADHA 14, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2022

सा.का.िन. 511(अ).—कंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989, निम्नलिखित कतिपय प्रारूप नियम, जिसे केंद्र सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संशोधन करने का प्रस्ताव करती है। इसको उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा यथापेक्षित उनके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अविध समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिसको सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं।

- 2. उपरोक्त अवधि समाप्त होने से पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;
- 3. उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में आपित्तयां एवं सुझाव, यदि कोई हो, को संयुक्त सचिव (एमवीएल), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को ईमेल: comments-morth@gov.in पर भेजा जा सकता है।

मसौदा नियम

- 1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ.—(1) इन नियमों को केन्द्रीय मोटर यान (... ...संशोधन) नियमावली, 2022 कहा जाएगा।
 - (2) ये इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- 2. केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 (इसके बाद उक्त नियमों के रूप में संदर्भित) के नियम 2 में, उप-नियम (यघ) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

4524 GI/2022 (1)

- (यड.) "बख्तरबंद वाहन" का अर्थ एम और एन श्रेणी का एक विशेष प्रयोजन वाहन है, जो गोली रोधी बख्तरबंद से इसमें सवार व्यक्तियों या माल की सुरक्षा के लिए अभिप्रेत है।
- 3. उक्त नियमों में, नियम 125-ट के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"125-ठ केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के तहत अधिसूचित प्रावधानों से बख्तरबंद वाहनों के लिए विशिष्ट छूट समय-समय पर संशोधित एआईएस-194:2022 के अनुरूप होगी, जब तक कि भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के तहत संबंधित बीआईएस विनिर्देशों को निर्दिष्ट नहीं किया जाता है।

[फा. सं. आरटी-11036/70/2021-एमवीएल]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 4th July, 2022

- **G.S.R. 511(E)**.—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification, as published in the Official Gazette, are made available to the public;
- 2. The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid will be considered by the Central Government;
- 3. Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Joint Secretary (MVL), email: comments-morth@gov.in, Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001.

DRAFT RULES

- **1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (......Amendment) Rules, 2022.
 - (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
- 2. In the Central Motor Vehicle Rules, 1989 (herein after referred as the said rules), in rule 2, after sub-rule (zd), the following sub-rule shall be inserted, namely: -
 - (ze) "Armoured Vehicles" means a special purpose vehicle of category M and N which is intended for the protection of conveyed persons or goods with anti-bullet armour plating.
 - 3. In the said rules, after rule 125-K, following rule shall be inserted, namely: -
 - "125-L. Specific exemptions for Armoured Vehicles from the notified provisions under the Central Motor Vehicles Rules, 1989, shall be in accordance with AIS-194:2022, as amended from

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3

time to time, till such time the corresponding BIS specifications are specified under the Bureau of Indian Standards Act, 2016(11 of 2016)."

[F. No. RT-11036/70/2021-MVL]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended *vide* Notification number dated...........